संख्याः– 1560 /रा0आ0का0/2016–17

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, बांदा, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, कुशीनगर, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मऊ, मिर्जापुर, संतकबीरनगर, सोनभद्र एवं उन्नाव।

लखनऊ : दिनॉकः 04 मई 2016

विषयः– सूखा–2015 से प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान का वितरण दिनांक 04 मई, 2016 तक किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–148/1–11–2016 दिनांक 14.04.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से सूखा–2015 से प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये धनराशि स्वीकृत करते हुये विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 15.01.2016 एवं 22.03.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष–2015–16 में राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2– सूखा से प्रभावित किसानों को त्वरित राहत वितरण किये जाने के लिये जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को एस0एम0एस0 भेजकर भी राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्देशित किया जा रहा है तथा इस संबंध में दूरभाष पर भी शीघ्र राहत वितरण कर सूचना प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3– इस संबंध में राहत आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या–1551/रा0आ0का0/2016–17, दिनांक 28.04.2016 के माध्यम से भी निर्देशित किया गया था किन्तु अभी मात्र जनपद चित्रकूट, गोरखपुर, झांसी, मिर्जापुर और संतकबीरनगर द्वारा ही धनराशि आहरित कर वितरित किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। अन्य जनपदों द्वारा गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि के वितरण की सूचना दी जा रही है। वित्त विभाग के वेबसाइट koshvani.up.nic.in पर उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 29.04.2016 तक 21 जनपदों को स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में मात्र चित्रकूट, गोरखपुर, झांसी, संतकबीरनगर एवं मिर्जापुर द्वारा कोषागार से धनराशि आहरित कर वितरित किये जाने का विवरण है।

4– सूखा से प्रभावित किसानों को पारदर्शी ढंग से त्वरित राहत वितरण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

5– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूखा–2015 से प्रभावित किसानों को राहत वितरण किये जाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का त्वरित एवं पारदर्शी ढंग से वितरण दिनांक 04 मई, 2016 तक सुनिश्चित करते हुये इसका विवरण शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्याः– /रा0आ0का0/2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– मण्डलायुक्त, इलाहाबाद, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, मिर्जापुर, फैजाबाद, आजमगढ़ एवं लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि राहत वितरण की अपने स्तर पर भी समीक्षा करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त